

31 / 12 / 2014 की स्थिति में अचल सम्पत्ति का विवरण

1. अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह सेवारत है
2. पिता/पति का नाम विजय पाण्डेय
3. वर्तमान धारित पद एल.डी.सी.
4. वर्तमान वेतन मा.ए.जु.ला.इ.
5. अगली वेतनवृद्धि
6. वर्तमान पद का कुल वेतन

श्रीमती रूचन्ना पाण्डेय जिला उपभोक्ता मंत्री राजा

उक्त जिले, सभाग, तहसील तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे गृह तथा अन्य भवन	भूमि (आवासीय प्लॉट एवं कृषि भूमि)	संरक्षण मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाये कि किसके नाम पर धारित है, और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया कर्षण, "पट्टा, बंध, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से, अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08
निरंक	-	-	-	निरंक	निरंक	निरंक	

जहां लागू न हो काट दीजिये।  
 ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।  
 इसमें अल्पकालीन पट्टे भी शामिल हैं।

ध्यान :- मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आधरण) नियम, 1966 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है, कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आध्या उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

R-D  
 हस्ताक्षर  
 श्रीमती रूचन्ना पाण्डेय  
 पद एल.डी.सी.